



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243991
CG-DL-E-01032023-243991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910]
No. 910]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

का.आ. 947(अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड', नई दिल्ली (पैन-एएएजीआई 0193के), केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक बोर्ड, को इस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;
 - (ख) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क;
 - (ग) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अन्तर्गत संग्रहीत किया गया जुर्माना; तथा
 - (घ) उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) पर अर्जित ब्याज आय।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्याधीन प्रभावी होगी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली-
- (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाईल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 तथा 2026-2027 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 09/2023/फा. सं. 300196/39/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

S.O. 947(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Insolvency and Bankruptcy Board of India', New Delhi (PAN AAAGI0193K), a Board established by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

- (a) Grants-in-aid received from Central Government;
- (b) Fees received under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
- (c) Fines collected under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016); and
- (d) Interest income accrued on (a), (b) and (c) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Insolvency and Bankruptcy Board of India, New Delhi:-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 and 2026-2027.

[Notification No. 09/2023/F.No.300196/39/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.